



2026:AHC-LKO:42158

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - - 4739 सन् 2026

अर्जुन उर्फ पटारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इसके प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विमल किशोर सिंह

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना-जैदपुर, जिला-बाराबंकी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 47/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि गंग चार्ट में आवेदक के खिलाफ तीन मामले दर्शाए गए हैं, जिनमें उसे जमानत दी जा चुकी है। जमानत आदेशों की प्रतियां जमानत आवेदन के साथ संलग्न की गई हैं। उपर्युक्त तीन मामलों के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसा कि जमानत आवेदन के पैराग्राफ संख्या 10 में स्पष्ट किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं है और वह न तो किसी गिरह का सदस्य है और न ही नेता। आवेदक 01.03.2026 से जेल में बंद है। आवेदक वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि गंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, समर्थक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक - **अर्जुन उर्फ पटारी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो मुचलके प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(1) आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव बनाकर या अन्यथा अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(2) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह तय प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-A के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है;

(3) आवेदक (i) मामला खोलने, (ii) आरोप तय करने तथा (iii) धारा 313 Cr.P.C. के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 Cr.P.C. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-A के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

जमानतदारों की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, निचली अदालत को जमानत रद्द करने और आवेदक को जेल भेजने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां पूरी तरह से इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

25 जून, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।